बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–वि0 सर्वे0 शेखपुरा – 244 / 2015....11709....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 23-12-2020

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के लिए आवश्यक प्रपत्रों की छपाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय द्वारा विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक प्रपत्रों की छपाई विभागीय अनुमोदन के आलोक में वित्त विभाग से कराने का निर्णय लिया गया था। वित्त विभाग द्वारा प्रपत्रों की छपाई ससमय आवश्यकतानुसार नहीं कर पाने की स्थिति में वित्त विभाग से जिला स्तर पर प्रपत्रों की छपाई करने के संबंध में सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। वित्त विभाग के पत्रांक 6104 दिनांक 04.12.2020 द्वारा दी गई सहमति के आलोक में प्रपत्रों की छपाई अब जिला स्तर पर किया जाना है।

अतः आवश्यक है कि अपने जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या के आधार पर प्रपत्रों की आवश्यकता का आकलन कर लिया जाए इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रैयतों को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3(1) को संबंधित ग्रामों के कुल जमाबंदी संख्या के 2 प्रतिशत नमूना तौर पर छपाई कराया जाना उचित होगा और नमूने के तौर पर ग्रामों में वितरित किया जाना उचित होगा। रैयतों द्वारा प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3(1) हस्तलिखित में भी स्वीकार किया जा सकता है। अन्य प्रपत्र आवश्यकतानुसार छपाई कराया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक प्रपत्रों की छपाई आवश्यकतानुसार तत्काल प्रारंभ करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए ताकि विशेष सर्वेक्षण का कार्य बाधित न हो। साथ ही आवश्यकतानुसार विधिवत आवंटन की मांग की जाए ताकि ससमय राशि उपलब्ध कराई जा सके।

अनुलग्नकः– प्रपत्रों के आकार संबंधी
हार्ड एवं सॉफ्ट कापी।

विश्वासभाजन

23/12/20

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Drive - D\Year 2020\Birendra Sir\Director\21-12-2020.doc

ज्ञापांक :– 17–वि0 सर्वे0 शेखपुरा – 244 / 2015...11709... **पटना, दिनांक**:– 23-12-2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त / सभी संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–वि0 सर्वे0 शेखपुरा – 244 / 2015...11709... **पटना, दिनांक**:– 23-12-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–वि0 सर्वे0 शेखपुरा – 244 / 2015...11709... **पटना, दिनांक**:– 23-12-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अंतर्गत प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रपत्रों एवं पंजियों का आकार का ऑकलन

क्र० सं०	प्रपत्र संख्या	विषय	प्रपत्र/पंजी का आकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रपत्र–2	प्रपत्र–2 रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्वघोषणा	A4 8.27 x 11.7 ईंच	
2	प्रपत्र–3	प्रपत्र–3 स्व घोषणा के विरुद्व निर्गत किये जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र पंजी की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	A4 8.27 x 11.7 ईंच	
3	प्रपत्र –3(i)	प्रपत्र–3 (i) वंशावली दो अलग–अलग पृष्ठों में (भाग–1 एवं भाग–2) में	A4 8.27 x 11.7 ईंच	
4	प्रपत्र –3(ii)	याद्दाश्त पंजी प्रपत्र –3(ii) की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	A3 11.7 x 16.5 ईंच	
5	प्रपत्र–4	प्रपत्र–4 गैर सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि पंजी की कुल संख्या (50 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	A3 11.7 x 16.5 ईंच	
6	प्रपत्र–5	प्रपत्र–5 खतियानी विवरणी पंजी की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	A3 11.7 x 16.5 ईंच	
7	प्रपत्र–6	खेसरा पंजी की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	A3 11.7 x 16.5 ईंच	
8	प्रपत्र–8	प्रपत्र–8 दावों/आक्षेपों का प्रपत्र	A4 8.3 x 11.7 ईंच	
9	प्रपत्र–9	प्रपत्र–9 दावों/आक्षेपों की पावती पंजी (एक पृष्ठ में दो पावती रहेगा) (ग्रामवार) (100 पन्नों की) पावती अलग करने के लिए निर्धारित रेखा को छिद्रयुक्त रखा जाए।	A5 5.8 x 8.3 ईंच (एक पृष्ठ में दो पावती का प्रपत्र रहेगा।)	
10	प्रपत्र–10	प्रपत्र–10 दावा/आक्षेप पंजी (100 पन्नों की) (ग्रामवार)	A4 8.3 x 11.7 ईंच (100 पृष्ठ में)	
11	प्रपत्र–11	प्रपत्र–11 सूचना का प्रपत्र	A5 5.8 x 8.3 ईंच	
12	प्रपत्र–14	प्रपत्र–14 दावा/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र	A4 8.3 x 11.7 ईंच	
13	प्रपत्र–15	प्रपत्र–15 अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों/आक्षेपों की पजीं (100 पन्नों की)	A4 8.3 x 11.7 ईंच (200 पृष्ठ में)	
14	प्रपत्र–16	प्रपत्र–16 दावों/आक्षेपों की पावती प्रपत्र एक पृष्ठ में दो पावती रहेगा (एक पृष्ठ में दो पावती रहेगा (ग्रामवार) (100 पन्नों की) पावती अलग करने के लिए निर्धारित रेखा को छिद्रयुक्त रखा जाए।	A5 5.8 x 8.3 ईंच (एक पृष्ठ में दो पावती का प्रपत्र रहेगा।	
15	प्रपत्र–17	प्रपत्र–17 सूचना का प्रपत्र	A5 5.8 x 8.3 ईंच	
16	अमीन डायरी	नवनियुक्त होने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीन की संख्या के अनुसार (100 पन्नों में)	A4 8.3 x 11.7 ईंच	
17	आदेशफलक	(मुख्य पृष्ठ एवं द्वितीय पृष्ठ)	A4 8.3 x 11.7 ईंच	